कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा-भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/ 1026 /08/न्या/अनु.शा./आउशि/22 भोपाल दिनांक 20/6/2022

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषयः- अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु 62 से 65 वर्ष करने के अनुक्रम में जानकारी उपलब्ध कराने बावत ।

संदर्भः- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/766/08/न्या/अनु.शा./आउशि/22 दिनांक 29.04.2022 ।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा निर्धारित प्रपत्र भेजते हुये दिनांक 01.04.2010 की स्थिति में महाविद्यालय में कार्यरत एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुये शिक्षकों के संबंध में व्यक्तिवार जानकारी प्रपत्र में उपलब्ध कराने एवं भेजी जाने वाली जानकारी की कम्प्यूटर मे माइक्रोसाफ्ट एक्सेल वर्कशीट तैयार फाईल की साफ्ट प्रति बजट शाखा के ईमेल budgethedu@mp.gov.in पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था ।

2. उक्त पत्र के अनुक्रम में कई महाविद्यालयों से जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही जिन महाविद्यालयों द्वारा जानकारी भेजी गई है उनमें कुछ महाविद्यालयों की जानकारी में निम्नानुसार कमियां परिलक्षित है :-

(1) प्रपत्र में कॉलम-8 में कुल अवधि का उल्लेख किया गया है, जबकि तिथिवार (कब से-कब तक) अवधि का उल्लेख किया जाना है।
(2) कॉलम-8 में राशि का उल्लेख नहीं किया गया है और यदि राशि का उल्लेख किया गया है तो उस कॉलम का कुल योग अंकित नहीं किया गया है।
(3) कुछ महाविद्यालयों द्वारा केवल हस्ताक्षरित जानकारी की प्रति डाक एवं ईमेल से प्रेषित की गई है और उसकी साफ्ट प्रति प्रेषित नहीं की गई है।
(4) कुछ महाविद्यालयों द्वारा केवल साफ्ट प्रति ईमेल की गई है उसकी हस्ताक्षरित प्रति डाक अथवा ईमेल से नहीं भेजी गई है।
(5) कुछ महाविद्यालयों द्वारा 62 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति दिनांक पृथक-पृथक गई है, परन्तु रिज्वाईनिग न करने के कारण कॉलम-8 एवं 9 की पूर्ति नहीं की गई है।
(6) जानकारी में क्रीड़ाअधिकारी एवं ग्रंथपाल को शामिल किया गया है, जबकि केवल शिक्षको के संबंध में जानकारी चाही गई है।
(7) अवधि वाले कॉलम-8 में अवधि का कोई उल्लेख न करते हुये कॉलम-8 एव 9 में राशि का उल्लेख किया गया है।

3. उक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्यो द्वारा उच्च कार्यालय के निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं किया जाता है लापरवाही बरती जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार चाही गई जानकारी उक्त उल्लेखित कमियों की पूर्ति करते हुये तीन दिवस के अंदर आवश्यक रूप से उपलब्ध करावे। साथ ही समस्त महाविद्यालय जानकारी की साफ्ट प्रति भी आवश्यक रूप से प्रेषित करें ।

20/6/22

(डॉ. पूर्णिमा लोदवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.,भोपाल

निरंतर.....2

Scanned with CamScanner

पृ.कमांक/ 1027 /08/न्या/अनु.शा./आउशि/22 भोपाल दिनांक 20/6/2022

प्रतिलिपिः-

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।

2. समस्त प्राचार्य/शिक्षाधिकारी, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

..................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

20/6/22

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.,भोपाल

Scanned with CamScanner